जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,

ग्राम मदाऊ, पोस्ट पांकरोटा, जयपुर-302026

कमांक प.( )जरारासंविवि/शैक्ष./17/ दिनांक

कार्यालय आदेश

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 की धारा 23(2)(ख) के अनुसरण में सत्र 2017–18 के लिए शास्त्री – शिक्षाशास्त्री (चारवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) के संचालन बाबत अस्थाई सम्बद्धता में अभिवृद्धि हेतु प्राप्त आवेदन पत्र एवं निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति एवं निरीक्षण बोर्ड की संयुक्त बैठक दिनांक 05.07.2017 की अनुशंषा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 08.07.2017 के स्वीकार्यरता उपरान्त निम्नलिखित महाविद्यालय को निम्न शर्तो के अध्यधीन अस्थाई सम्बद्धता में अभिवृद्धि प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम व पूर्ण पता	आवंटित सीट/ अवधि	महिला/ सहशिक्षा	महाविद्यालय को आवंटित विषय	अस्थाई सम्बद्धता अभिवृद्धि शर्ते
1.	श्री महर्षि दाधीच संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोटा	50 (एक यूनिट) 04 वर्ष	सहशिक्षा	–	निरीक्षण दल की रिपोर्ट के उपरान्त नियमानुसार एफ.डी. की प्रति विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुकी है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार शर्तो को पूरा करने की शर्त पर 2017–18 के लिए चार वर्षीय एकीकृत शास्त्री–शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम के लिये एक यूनिट (50 विद्यार्थी) अस्थाई सम्बद्धता दिये जाने की अभिशंषा की गई है तथा **बिन्दु सं. 3 व 4 की पूर्ति किये जाने के उपरान्त ही काउंसलिंग में सम्मिलित किया जायेगा –** 1. सत्रारम्भ होने से पूर्व मानदण्डानुसार प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए अतिरिक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों का चयन किया जाना अपेक्षित है। 2. नियमानुसार विषय आवंटन पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। 3. संस्था द्वारा बकाया सम्बद्धता शुल्क राशि रू. 1,25,000/- विश्वविद्यालय में जमा कराया जाना होगा। 4.निदेशालय संस्कृत शिक्षा से विषय संचालन का आदेश स्वीकृत करवाकर विश्वविद्यालय को अतिशीघ्र भिजवायें।
2.	Gyayak T.T. College, Kupra, Banswara	100 (दो यूनिट) 04 वर्ष	सहशिक्षा	–	निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार शर्तो को पूरा करने की शर्त पर 2017–18 के लिए चार वर्षीय एकीकृत शास्त्री–शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम के लिये दो यूनिट (100 विद्यार्थी) अस्थाई सम्बद्धता दिये जाने की अभिशंषा की गई है तथा

कुलसचिव
राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
जयपुर-302026

					बिन्दु सं. 3 व 6 की पूर्ति किये जाने के उपरान्त ही काउंसलिंग में सम्मिलित किया जायेगा – 1. सत्रारम्भ होने से पूर्व मानदण्डानुसार प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए अतिरिक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों का चयन किया जाना अपेक्षित है। 2. नियमानुसार विषय आवंटन पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। 3. संस्था द्वारा बकाया सम्बद्धता शुल्क राशि रू. 1,75,000/- विश्वविद्यालय में जमा कराया जाना होगा। 4. पुस्तकालय में संस्कृत साहित्य, शिक्षा व शोध सम्बद्ध सन्दर्भ ग्रन्थ शिक्षा जर्नल संख्या वृद्धि अपेक्षित है। 5. योग्यता धारी पर्याप्त शैक्षिक स्टाफ के विधिवत चयन किया जाना अपेक्षित है। 6.निदेशालय संस्कृत शिक्षा से विषय संचालन का आदेश स्वीकृत करवाकर विश्वविद्यालय को अतिशीघ्र भिजवायें।

–sd–
कुलसचिव

कमांक प.( )जरारासंविवि/शैक्ष./17/ 3946–52 दिनांक 20/7/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, (उत्तर क्षेत्रीय समिति), जयपुर
2 उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर
3 निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
4 परीक्षा नियंत्रक, जरारासंविवि, जयपुर
5 प्रभारी वेबसाईट, जरारांसविवि, जयपुर को भेजकर लेख है कि वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6 संबंधित महाविद्यालय

U-S-2-V
कुलसचिव